(आर.ए.एस.)

[illegible]/2017

उनवान

जगदीशचन्द्र पिता हजारी बैरवा निवासी आजादनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)

————————(प्रार्थी)

बनाम

1 नगजी पिता लादु रेगर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 बाला पिता हरिकिशन गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 पांचु पिता प्रेमा गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 नानू पिता प्रेमा गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 गोपाल पिता प्रेमा गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 जगरूप पिता सरदारा गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
7 माधु पिता सरदारा गुर्जर निवासी मजरा झोपडिया, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 भैरू पिता रामा गुर्जर निवासी कालापीपल, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
9 बद्री पिता रामा गुर्जर निवासी कालापीपल, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
10 जगरूप पिता काना गुर्जर निवासी कालापीपल, जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
11 गंगा पत्नि घेवर ब्राहमण निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
12 पारस पत्नि जगदीश ब्राहमण निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
13 रामलाल पिता नन्दा गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
14 बी0ओ0बी0 बेंक शाखा डाबला जरिये मेनेजर बी0ओ0बी0 बेंक शाखा डाबला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा (डीलीट)
15 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : **दिनांक – 20.04.2017**

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के इस न्यायालय मे दिनांक 03.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम जासोरिया पटवार मण्डल जासोरिया भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 270 के आ0न0 702 कुल किता 01 कुल रकबा 11–08 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। इससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 14 की और से अधिवक्ता श्री गोपाल मुन्दडा द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया, इस पर प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या 14 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये, लिहाजा प्रार्थी वकील का निवेदन स्वीकार कर प्रार्थनापत्र पर विपक्षी कम 14 का नाम लाल स्याही से डीलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गयी। शेष विपक्षीगण नियत पैशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम जासोरिया पटवार मण्डल जासोरिया भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 270 के आ0न0 702 कुल किता 01 कुल रकबा 11–08 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक डाबला को 1200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।